राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	**तारीख दायर**	**तारीख फैसला**
35 / 2017 / प्रार्थना पत्र	**23.03.2017**	**18.05.2017**

उनवान

सदीक मोहम्मद पिता निजामुदीन नीलगर निवासी कोठियॉ तहसील फूलियाकलां
– प्रार्थी

बनाम

1–2 छोगा, नारायण पिता भेरू कुम्हार निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां
3– हरिप्रसाद पिता रामगोपाल ब्राम्हण निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां
4– कैलाश चन्द्र पिता मोहनलाल ब्राम्हण निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां
5– नन्दकिशोर पिता कन्हैयालाल ब्राम्हण निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां
6– मकराम पिता हाथी गुर्जर निवासी जोरा का खेड़ा तह0 फूलियाकलां
7–8 गोपाल, घीसा पिता लादू माली निवासी मगनपुरा तह0 फूलियाकलां
9–10 महावीर , भागीरथ पिता घीसा माली निवासी मगनपुरा तह0 फूलियाकलां
11– अन्नपूर्णा पत्नि मदनलाल शर्मा निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां
– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम धनोप पटवार हल्का धनोप तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 910 आ0न0 3187, 3188, 3200, 3201, 3202, 3215 / 4181 कुल किता 6 रकबा 1.73 है0 जो विपक्षी संख्या 11 व प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की है। अन्य विपक्षीगण 1 लगायत 10 चारों दिशाओं के पड़ोसी है। खाता संख्या 911 आराजी नम्बर 3189 / 3519, 3190, 3191 कुल किता 3 रकबा 0.76 है0, खाता संख्या 912 आ0न0 3167, 3179 / 3930, 3180, 3181 कुल किता 4 रकबा 1.66 है0 खाता संख्या 913 आ0न0 3183 रकबा 0.32 है0 तीनों खातो मे प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की आराजीयात स्थित है। विपक्षीगण नं0 1 लगायत 10 चारों दिशाओं के पड़ोसी है जो आये दिन सीमा को लेकर विवाद करते रहते है काश्त करने व फसल बुवाई व काटते समय सीमाविवाद करते रहते है। अतः चारों दिशाओं का माप परिमाप करवाकर मुस्तिकिल निशान से पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.04.2017 को विपक्षीगण 01 व 02 की ओर से अभिभाषक श्री विजय पाराशर ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब हेतु अवसर की मांग की गई। प्रकरण दिनांक 18.05.2017 को राजस्व

कि प्रार्थी अपने खाते की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। बहस अभिभाषक प्रार्थी की समायत की गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए भूमि प्रार्थी के खातेदारी की होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रकरण मे प्रस्तुत जमाबन्दी मौजा धनोप का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम धनोप पटवार हल्का धनोप तहसील फूलियाकलां मे खाता संख्या 910 आ0न0 3187, 3188, 3200, 3201, 3202, 3215/4181 कुल किता 6 रकबा 1.73 है0 जो विपक्षी संख्या 11 व प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की है। अन्य विपक्षीगण 1 लगायत 10 चारों दिशाओं के पड़ोसी है। खाता संख्या 911 आराजी नम्बर 3189/3519, 3190, 3191 कुल किता 3 रकबा 0.76 है0, खाता संख्या 912 आ0न0 3167, 3179/3930, 3180, 3181 कुल किता 4 रकबा 1.66 है0 खाता संख्या 913 आ0न0 3183 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 4.47 है0 की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जेरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1800/- (अक्षरे एक हजार/आठ सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18.05.2017 को केम्प धनोप पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं